


प्रकरण सं० अनवान

Continuation Note Sheet

१/२/१४

पशावली पेशाबुरी वादी की तरफ से कोरि
उपरिष्ठत नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि
वादी अपने आवेदन पर कोरि साबित नहीं
करते तथा इसे कोरि बढाना नहीं चाहते।
पशावली श्रम फरकी में खारिज की जाती है।
पशावली वाद तत्प्रीति हो कर नंबर्स कमी


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर